RSLSA Help Line
9928900900

All India Help Line
15100

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,.....

विधिक सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र

प्रकरणः सिविल/फौजदारी/अन्य

(विधिक सहायता हेतु आवेदन सम्बन्धित DLSA को प्रेषित किया जावे, जो रोस्टर के अनुसार प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अधिवक्ता नियुक्ति करेगा)

(आवेदक द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की फीस व खर्चे का भुगतान नहीं किया जावेगा)

प्रार्थी अपनी पास–पोर्ट साईज फोटो यहां संलग्न करें।

1. नाम आवेदक :
2. आवेदक का स्थायी पता :
3. सम्पर्क पता :
4. मोबाईल एवं ई–मेल आई. डी. :
5. क्या आवेदक अधिनियम की धारा–12 में वर्णित व्यक्तियों के प्रवर्ग से हैं :
6. आवेदक का आधार नम्बर/वोटर कार्ड नम्बर/अन्य पहचान पत्र का नं. :
7. आवेदक की मासिक आय एवं आय का स्त्रोत :
8. क्या अधिनियम की धारा–12 के अधीन आय/पात्रता समर्थन में शपथ–पत्र/सबूत दिया गया है :
9. अपेक्षित विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति :
10. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवा अपेक्षित है :

न्यायालय का नाम.....

प्रकरण संख्या.....

पुलिस थाना.....

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....

अपराध अन्तर्गत धारा..... :

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। मैं निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का हकदार हूँ। वर्तमान समय में मेरे प्रकरण की पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। मैं बिना DLSA की सहमति के अन्य अधिवक्ता नियुक्त नहीं करूगां।

स्थान :– आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः–

नोटः 1. इस प्रार्थना–पत्र के साथ जाति–प्रमाण/ आय प्रमाण–पत्र/ आय प्रमाण–पत्र के अभाव में अपनी आय बाबत अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

2. इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करें।

प्रार्थना पत्र अग्रेषणकर्त्ता प्राधिकारी :

उक्त जानकारी आवेदक द्वारा दी गई है और प्रकरण न्यायालय में प्रकरण सं..... पेशी दि.....को लम्बित है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

➢ पैनल अधिवक्तागण को मूल नियमित प्रकरण में देय मानदेय एवं अन्य शर्तें:

क्रमांक	निम्न न्यायालयों में निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जाती है	अधिकतम देय मानदेय (प्राधिकरण द्वारा)	खर्चे का भुगतान (प्राधिकरण द्वारा)	योग
1.	Court of Tehsildar, Executive Magistrate, Civil Judge – cum -Judicial Magistrate, Sub-Divisional Officer, Assistant Collector and other equivalent court etc.	₹6000/–	₹1000/–	₹7000/-
2.	Court of Collector-cum-District Magistrate, Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Senior Civil Judge cum Chief Judicial Magistrate and Senior Civil Judge cum Additional Chief Judicial Magistrate, Revenue Appellate Authority and other similar Tribunals	₹9000/-	₹1000/-	₹10000/-
3.	Courts of District & Sessions Judge, Additional District & Sessions Judge and Similar Courts or Tribunals.	₹13500/-	₹1000/-	₹14500/-
4.	Hon'ble Rajasthan High Court	₹16500/-	₹2000/-	₹18500/-
5.	In miscellaneous and petty cases like Bail applications and revision petitions of cases under section 107, 125, 145, 133, Cr. P.C. etc. 1/3 amount of fee + ₹1000/- per case payable.			
6.	In case of Withdrawal or Plea of Guilty: ½ fee shall be payable.			
7.	Fee payable shall be paid in two installments :- (a) 1/2 of the fee on engagement of the legal practitioner after first hearing of the case; (b) remaining fee after final decision of the case.			
8.	Such legal practitioner to whom any case is assigned either for legal advice or for legal aid shall not receive any fee or remuneration whether in case or in kind or any other advantage, monetary or otherwise from such person or from any other person on his behalf.			
नोट :	उक्त मानदेय व खर्चे का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।			

➢ निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्तिः

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य।
2. मानव दुर्व्यापार या बेगार से पीड़ित व्यक्ति।
3. महिला या बच्चा।
4. दिव्यांग जन।
5. अभिरक्षा में निरूद्व प्रत्येक व्यक्ति
6. घोर विपत्ति, जातिय हिंसा, बाढ़, भूकम्प आदि से पीड़ित व्यक्ति।
7. औद्योगिक कर्मकार।
8. अनैतिक व्यापार से पीड़ित व्यक्ति।
9. ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,50,000/–रूपये से कम हो।

➢ यह फार्म कहॉ जमा करवाया जावेः

क्र.सं.	निःशुल्क सलाह एवं सहायता कहां चाहिए ?	आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का स्थान
1.	तालुका स्तर पर	सम्बन्धित अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति
2.	जिला स्तर	सम्बन्धित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
3.	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच स्तर पर	सम्बन्धित सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर

➢ किन किन न्यायालयों/ट्रिब्युनल्स में लम्बित प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त की जा सकती हैः

सामान्य शर्तें :

1. किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सीधे तौर पर Legal aid Counsel नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
2. नाल्सा की स्कीम के अधीन विधिक सहायता हेतु आवेदक को केवल अनुमोदित पैनल से ही अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।
3. एक बार विधिक सहायता के अधीन अधिवक्ता नियुक्त होने पर आवेदक द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता है और ना ही अन्य अधिवक्ता DLSA की NOC के बिना नियुक्त हो सकता है।
4. जेल में निरूद्ध व्यक्ति का आवेदन जेल प्रभारी द्वारा प्रमाणित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एवं पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति का आवेदन सम्बन्धित SHO या I.O. द्वारा सत्यापित कर DLSA/TLSC को तत्काल प्रेषित किया जावेगा।